Helpline 1064

94135-02834

# कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

## प्रेस नोट

- **अलवर में कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ई.एस.आई.सी.) का शाखा प्रबन्धक 5 हजार रूपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी**

जयपुर, *18 अगस्त।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी की अलवर–प्रथम इकाई द्वारा आज बुधवार को बहरोड़ में कार्यवाही करते हुये रामानन्द शाखा प्रबन्धक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ई.एस.आई.सी.) बहरोड़, अलवर को परिवादी से 5 हजार रूपये की रिश्वत राशि लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

**भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी** ने बताया कि ए.सी.बी. की अलवर–प्रथम इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि नीमराणा औद्योगिक क्षेत्र में हुई श्रमिक की मृत्यु के क्लेम को पास करने की एवज में रामानन्द शाखा प्रबन्धक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ई.एस.आई.सी.) बहरोड़, अलवर द्वारा 5 हजार रूपये रिश्वत राशि मांगकर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी अलवर–प्रथम के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री विजय सिंह** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज **पुलिस निरीक्षक श्री प्रेमचन्द** एवं उनकी टीम के साथ ट्रेप कार्यवाही करते हुये रामानन्द पुत्र श्री बन्नाराम निवासी ग्राम गोनेड़ा, तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर हाल शाखा प्रबन्धक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ई.एस.आई.सी.) बहरोड़, अलवर को परिवादी से 5 हजार रूपये रिश्वत की राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

**एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन.** के निर्देशन में आरोपी के निवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

**एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी** ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।